धूम्रपान से बढ़ रहा वायु प्रदूषण

इंदौर, २२ नवम्बर (नगर प्रतिनिधि)। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर शहर के होटल, रेस्त्रां, बार में किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि यहां सिगरेट और तम्बाकू के धुएं का स्तर आम आदमी की सोच से बाहर है। इस धुएं से हवा में फैल रहे पार्टिकूलेट मेटर (सिगरेट बीडी के धुएं में पाए जाने वाले छोटे छोटे कण) से लोग फेफड़े और सांस की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं।

यह निष्कर्ष है म.प्र. वालेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन इंदौर और वालेन्ट्री हेल्थ एसो. आफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन का। यह अध्ययन देश के १२ राज्यों गुजरात, कर्नाटक, मिज़ोरम, उड़ीसा, प. बंगाल, नई दिल्ली, राजस्थान, उ.प्र., म.प्र., केरला, तमिलनाडु और मेघालय में किया गया, जिसमें पाया गया कि धूम्रपान के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संस्था के श्री भटनागर ने कहा कि धूम्रपान कानून को लागू हुए एक वर्ष हो गया इसके बावजूद लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि धूम्रपान से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो धूम्रपान न करने वाले भी सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले इन कणों से प्रभावित होते हैं। एसो. के कार्यकारी निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि कानून के अनुसार ३० से ज्यादा सीटों वाले रेस्तरां, होटल में स्मोकिंग रूम होना जरूरी है और उसका धुआं बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा ४ के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह से निषेध हो चुका है। डॉ. शालिनी कपूर ने एसो. द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के बारे में हो रहे प्रयासों के बारे में बताया। कार्यक्रम अधिकारी वकुल शर्मा ने कहा कि जिस होटल व बार में ३० से अधिक कक्ष हैं वहां धूम्रपान के लि अलग से कमरा बनाना अनिवार्य है।